2

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

रेभन्यू रिवीजन (Revenue Revision)वाद सं0 :–119/2023–24

सत्यनारायण कुमार वगै0

बनाम

राजेश कुमार गुप्ता वगै0

15.12.23

अपीलार्थी 1. सत्यनारायण कुमार पिता–स्व0 राम चरित्र साहु 2. उमेश कुमार गुप्ता पिता–राजेन्द्र प्रसाद साहु पता–पालकोट रोड नियर पेट्रॉल पम्प गुमला, थाना–गुमला जिला–गुमला के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–137/2022–23 में दिनांक–20.10.2023 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय रिवीजन दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के Revenue Revision पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि प्रश्नगत भूमि मौजा– डुमरडीह के खाता सं0–117 प्लॉट सं0–1125 एवं प्लॉट सं0–1126 रकबा कमशः– 4.01 एकड़, एवं 0.46 एकड़ कुल रकबा–4.47 एकड़ भूमि से संबंधित है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क एवं निम्न अपीलीय न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक–18.10.2023 के आदेश फलक में आदेश हेतु निर्धारित तिथि को ओभरराईटींग करते हुए पक्षकारों को सुनवाई का प्रर्याप्त मौका दिए बिना ही दिनांक–20.10.2023 को आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए निर्देश दिया जाता है कि पुनः उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई हेतु प्रर्याप्त अवसर प्रदान कर तर्कसंगत आदेश पारित करने हेतु वाद Remand किया जाता है।

आदेश की प्रति निम्न अपीलीय न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संबंधित अंचल अधिकारी को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by KARN SATYARTHI
Date: 2024.08.06 15:41:37 +05:30
Location: 192.168.29.195

Scanned with OKEN Scanner